

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, धमदाहा।

टी० ए० - 189/2014

मो० नसीम एवं अन्य बनाम मो० बच्चू

आदेश

10.12.19

वादी सं० 1 से 9 की ओर से नये वकालतनामा के साथ हाजिरी दी गयी है। अभिलेख प्रतिवादी सं० 19 से 37 की ओर से दाखिल आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सी पी सी के अन्तर्गत पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने दि० 28.08.19 को आवेदन दाखिल कर निवेदन किया है कि इस वाद के विवादित भूमि पर वे लोग दखल कब्जेदार हैं। आवेदक के अनुसार, वादी ने यह वाद न्यायालय द्वारा यह घोषणा करने के लिये लाया है कि विवादित भूमि उन्हें रजिस्टर्ड बंटवारा दस्तावेज नं० 5844 दि० 02.10.1962 के आधार पर हासिल है, और प्रतिवादियों/आवेदक को विवादित भूमि पर कोई अधिकार, हित व स्वत्व हासिल नहीं है और प्रतिवादी/आवेदक ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर और न्यायालय के साथ कपट करते हुए एक स्वत्व वाद सं० 332/96 सब-जज न्यायालय 5, पूर्णियों में, दखल कब्जे की उद्घोषणा और उसे संपुट करने के लिये दाखिल किया और उसमें एकपक्षीय डिक्री दि० 21.04.99 को प्राप्त कर लिया है। यह पारित डिक्री कपटपूर्ण एवं पक्षकारों से मिली भगत करके प्राप्त किया गया है। यह कि स्वत्व वाद 332/96 में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष जो कि स्व० मो० मसलेउददीन एवं उसके वारिसानों ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर एवं बिना इस वाद के वादी को पक्षकार के रूप में संयोजित किये डिक्री प्राप्त कर लिया, जो वादी पर बाध्यकारी नहीं है।

प्रतिवादी के अनुसार, यह स्वीकृत तथ्य है कि स्वत्व वाद 332/96 में प्रतिवादी प्रथम पक्ष पक्षकार थे और विवादित भूमि में आधा हिस्सा की घोषणा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में डिक्री की गयी थी। वादी के वाद पत्र के अनुसार अकबर अली को काफी संपत्ति हासिल थी, जो एहसान अली और अहमद अली को छोड़कर मृत हुए। एहसान अली को भी 2 लड़का शेख हारून और शेख मोहसीन हुआ। जबकि अहमद अली भी 2 पुत्रों सिराजुद्दीन एवं मसलेउददीन को छोड़कर मृत हुए। यह कि रिविजनल सर्वे के दौरान तकरारी जमीन शेख हारून, शेख

सिराजुद्दीन एवं शेख मसलेउद्दीन के नाम था और यह शेख मोहसीन के नाम कभी नहीं रहा। रिविजनल सर्वे के दौरान खतियानी रैयत सिराजुउद्दीन ने अपना 1/4 हिस्सा शौकली अली को फरोख्त किया और इसलिये मुदालह द्वितीय पक्ष (19 से 28) के द्वारा टी.एस. 332/96 दाखिल की गयी, जिसमें शेख हारून के खिलाफ वाद दाखिल की गयी जो कि दि0 21.04.99 को डिक्री की गयी, जिसके आधार पर इस वाद में प्रतिवादी 19 से 37 के द्वारा इजराय वाद 1/2013 लाया गया था, जो कि इस न्यायालय में लंबित है। मुदालह प्रथम पक्ष ने दि0 21.04.99 के निर्णय और दि0 17.12.12 के डिक्री के खिलाफ एक टाईटिल अपील 18/2010 दाखिल किया था, जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा दि0 07.08.15 को खारिज कर दिया गया है।

इस वाद के वादी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष CWJC नं0 9976/2015 दाखिल कर इजराय वाद में अग्रिम प्रक्रिया को रोकने हेतु निवेदन किया था, जो वाद वापसी के आधार पर दि0 10.08.15 को खारिज कर दिया गया। वादी ने पूर्व में भी इस वाद में, दि0 08.08.14 को इजराय वाद 1/13 को रोकने के लिये एक आवेदन दाखिल किया था जिसके आधार पर प्रतिवादी 19 से 37 ने प्रत्युत्तर दाखिल किया और उभय पक्षों के सुनने के उपरांत अवर न्यायाधीश 5, पूर्णियाँ द्वारा दि0 25.02.15 को वह आवेदन खारिज कर दिया गया और इजराय वाद में कोई रोक का आदेश कभी नहीं हुआ।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का कथन है कि बंटवारा दस्तावेज 1962 की जो छाया प्रति वादी की ओर से दाखिल की गयी है, जिससे पता चलता है कि प्लॉट नं0 1366 का कुल रकबा 2.99 एकड़ तथा प्लॉट नं0 1349 का 46 डिसमिल है, जिसमें मुदालह द्वितीय पक्ष का आधा हिस्सा होता है। परन्तु पार्टिशन दस्तावेज के अनुसार मुदालह प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पूर्वज को प्लॉट नं0 1366 में 1.50 एकड़ और वादी के पूर्वज को शेष 1.49 एकड़ हिस्सा प्राप्त हुआ और इस प्लॉट में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वजों को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह प्लॉट नं0 1349 में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को आधा हिस्सा हासिल होना था लेकिन इस प्लॉट का सारा हिस्सा भी वादी के पक्ष में दिखाया गया है। जिससे प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के हिस्से में कोई जमीन नहीं बची। इसीलिये आवेदक/ प्रतिवादी द्वितीय पक्ष (19 से 37) का

कहना है कि 1962 का बंटवारा दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है। इस वाद में, वादी ने अनुसूची ए के अन्तर्गत की वाद भूमि खेसरा 1349 रकबा 86 डिसमिल के संपूर्ण रकबा पर दावा किया है और इस वाद के लंबित रहते, वादीगण बिना न्यायालय की अनुमति से खेसरा नं० 1349 में 43 डिसमिल जमीन विक्रय विलेख सं० 3894 दि० 15.06.15 द्वारा, चहहरी गांव के एक संतोष मुनी के हाथों बेच दिया है। वादी ने न्यायालय को इस संबंध में कभी सूचित नहीं किया, जिससे वादी का बदनीयती झलकता है। इससे आवेदक मुदालहगण को अपूर्णिय क्षति होगी। इस वाद के मुदई और मुदालह प्रथम पक्ष एक दूसरे के मेल में हैं और साजिश करके तकरारी जमीन के बाकी रकबा को भी बेचना चाहते हैं जिससे कि इजराय वाद 1/13 वेमतलव और बेमानी हो जाये। आवेदक को इस वाद में प्रथम दृष्टया वाद हासिल है एवं सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है और यदि मुदई को अस्थायी व्यादेश के द्वारा नहीं रोका गया तो उससे आवेदक को अपूर्णिय क्षति है। इसीलिये आवेदकों ने न्यायालय से प्रार्थना किया है कि मुदई को इम्तनायी आदेश द्वारा इस वाद के निपटारे तक वाद भूमि को किसी भी प्रकार से स्थानांतरित करने से रोक दिया जाए। आवेदक ने अपने आवेदन को शहवाज अली के द्वारा शपथ पत्र से समर्थन किया है।

आवेदक ने केवाला सं० 3894 दि० 15.06.15 जो कि संतोष मुनी को बेचा गया है उसकी छाया प्रति दाखिल किया है। यह केवाला दस्तावेज अफजल कुतुब जो कि मुदई सं० 2 मो० कुतुबउद्दीन का लड़का है, के द्वारा खाता सं० 438 खेसरा 1349 में बेची गयी 43 डिसमिल जमीन से संबंधित है।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल किया गया इम्तनायी आवेदन का प्रत्युत्तर वादी की ओर से दि० 15.10.19 को दाखिल की गयी है। वादी ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि उक्त इम्तनायी आवेदन विधि विरुद्ध है। मुदई को तकरारी जमीन पर हकियत है और बहकियतदार दखल कब्जा हासिल है। मुदई को यह जमीन 1962 के निबंधित बंटवारा दस्तावेज दि० 5844 दि० 02.10.1962 द्वारा हासिल है। बंटवारा के बाद मुदईयान इसके दखल कब्जे में आए और जिसका दाखिल खारिज भी वादीगण के पक्ष में किया गया, जिसके बाद से मालगुजारी बिहार सरकार को अदा करता आ रहा है। जबकि मुदालह द्वितीय पक्ष ने एक मिली भगत और जाल

करके न्यायालय से धोखा कर हकियत वाद सं0 332/96 में न्यायालय अवर न्यायाधीश 5, पूर्णियों से एक निर्णय हासिल कर लिया जिसमें कि मुदईयान पक्षकार नहीं थे और इसीलिये यह निर्णय और डिक्री वादी पर लागू नहीं होता है। मुदई ने आवेदन में दिये गये बातों को बेतुका बताया है जिसको न तो उसने स्वीकार किया है न खारिज किया है। जहां तक आवेदन के पैरा 8, 9 एवं 10 का प्रश्न है वह सही नहीं है क्योंकि मुदईयान को अपना लोन चुकता करने के लिये तथा परिवार के कुछ सदस्यों के चिकित्सा के लिये तथा अन्य खर्च हेतु उसको बेचा जाना आवश्यक था। इसलिये उसने जमीन का बिक्री किया है। वादी का यह भी कथन है कि दि0 21.06.19 के बाद उसने कोई केवाला नहीं लिखा है और इसीलिये यह दि0 28.08.2019 का इम्तनायी आवेदन बेबुनियाद है और इसीलिये खारिज करने लायक है। मुदई के अनुसार, विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि चूंकि टी.एस. 332/96 में जो अवैध और गलत तरीके से निर्णय और डिक्री हासिल की गयी है, जिसके आधार पर मुदालह अपने अधिकार का जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। मुदालह उस प्लॉट के दखलकार भी नहीं हैं, इसीलिये आवेदक को कोई प्रथम दृष्टया वाद हासिल नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और इसलिये आवेदन खारिज किये जाने से उसे कोई अपूर्णिय क्षति नहीं होगी। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी का कारण पृच्छा स्वीकार करते हुए मुदालह द्वितीय पक्ष का इम्तनायी आवेदन खारिज कर दिया जाए।

उक्त आवेदन पर इस वाद के उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि इस वाद के वादीगण जो कि शेख मोहसीन पिता एहसान अली के वारिसान हैं। जबकि शेख हारून पिता एहसान अली के वारिसानों को मुदालह प्रथम पक्ष बनाया गया है। एहसान अली के सहोदर भाई अहमद अली के बेटे मसलेउद्दीन एवं मो0 सिराज के वारिसानों को मुदालह द्वितीय पक्ष बनाया गया है जो कि प्रतिवादी सं0 19 से 37 है और वह आवेदकगण है। मुदई ने विवादित भूमि खाता नं0 438 खेसरा नं0 1366 रकबा 1.49 एकड़, खेसरा 1349 रकबा 86 डिसमिल सहित अन्य खेसरान को विवादित भूमि बनाया है। मुदई ने विवादित भूमि के निस्वत न्यायालय से यह मांग किया है कि अनुसूची ए में वर्णित

भूमि का दखल कब्जा उसके पक्ष में घोषित कर दिया जाये जो कि 1962 के रजिस्टर्ड पार्टिशन दस्तावेज के आधार पर उन्हें प्राप्त है और प्रतिवादियों को इस जमीन पर कोई दखल कब्जा या स्वत्व एवं हित हासिल नहीं है, ना कभी रहा है और प्रतिवादियों ने न्यायालय के साथ धोखा कर वादीगण के अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश अवर न्यायाधीश पंचम, पूर्णियों से करा लिया है, जो कि वादी पर लागू नहीं है। वादी ने यह भी माँग किया है कि टी.एस. 332/96 में न्यायालय सब-जज 5 से, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा वास्तविकता से हटकर, तथ्यों को छिपाकर और जिसमें वर्तमान वादी पक्षकार नहीं थे जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष उसमें पक्षकार थे, डिक्री हासिल कर लिया है, जो वादी पर लागू नहीं होता है और इसलिये प्रतिवादियों को स्थायी रूप से रोक लगाते हुए वादी के शांतिपूर्ण दखल कब्जे पर बाधा पहुँचाने से रोक दिया जाए। इतना ही नहीं वादी ने प्रतिवादियों के फाईनल डिक्री की कार्रवाई को रोक देने की एवं इजराय वाद को स्थगित करने का मांग किया है।

उभय पक्षों के कथनों एवं तर्कों से यह स्वीकृत तथ्य निकलकर सामने आता है कि वादी, प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष एक ही खानदान के हैं और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने जो टी.एस. 332/96 दाखिल किया था उसमें वादी को पक्षकार नहीं बनाया था।

वादी के अनुसार, इस वाद में अनुसूची ए की भूमि विवादित भूमि है जो कि रजिस्टर्ड बंटवारा दस्तावेज सं0 5844 वर्ष 1962 ई0 के आधार पर बंटवारा हुआ था और प्राप्त हिस्से के आधार पर वादी ने विवादित भूमि को अपने नाम नामांतरण कराया है। वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष ने मिली भगत करके टी.एस. 332/96 दाखिल किया जिसमें वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया और जिस भूमि का उक्त बंटवारा दस्तावेज द्वारा आर डरेर देकर वास्तविक बंटवारा हो चुका था इस तथ्य को छिपाते हुए और बिना वादी को उसमें पक्षकार बनाये, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने दि0 21.04.99 को एकपक्षीय निर्णय प्राप्त किया है। इस निर्णय की जानकारी वादियों को नहीं थी। जब इसके आधार पर इजराय वाद दाखिल हुआ और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के लोगों ने वादी को धमकी देना आरंभ किया कि वे जबरदस्ती दखल कब्जा हासिल कर लेंगे, तब जाकर

—

वादियों को इसकी जानकारी हुई। यह कि स्वत्व वाद 332/96 का संबंध खाता नं० 438 एवं 439 से है। जबकि वादी के अनुसार, खाता नं० 438 और 439 की भूमि जिसका वर्णन अनुसूची बी में दर्ज है, रजिस्टर्ड बंटवारा द्वारा वादी को हासिल थी और जब वादी को स्वत्व वाद 332/96 में पारित एकपक्षीय निर्णय के आधार पर दि० 19.05.14 को जमीन खाली करने के लिये धमकी दी गयी तब उसने यह वाद दाखिल किया।

विधि का यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यदि स्वत्व वाद 332/96 में खाता नं० 438 एवं 439 के निस्वत निर्णय और डिक्री पारित है और जब तक कि यह निर्णय और डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं हो जाता है तब तक वह वैध और प्रभावी है। वादी का कथन है कि उसको तकरारी भूमि खाता सं० 438 में प्लॉट नं० 1366 एवं 1349 की भूमि रजिस्टर्ड बंटवारा से हासिल है और स्वत्व वाद 332/96 में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था। चूंकि वादी ने इस वाद में, स्वत्व वाद सं० 332/96 में पारित एकपक्षीय निर्णय को भी चुनौती दिया है और जब तक यह निर्णय प्रभावी है और खारिज नहीं हो जाता है तो इसका अर्थ यह भी निकलता है कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष जो कि वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन का आवेदक है, उसे इस वाद में प्रथम दृष्टया वाद हासिल है और उसके पक्ष में निर्णय एवं डिक्री निष्पादित रहने के कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है।

प्रतिवादी द्वारा जिस केवाला दस्तावेज की प्रति दाखिल किया गया है वह दि० 15.06.15 का है जो कि इस वाद के दाखिल करने के बाद का है अर्थात् यह केवाला मुकदमा लंबित रहने के दौरान निष्पादित की गयी है। बिक्री की गयी भूमि प्लॉट नं० 1349 में करीब 43 डिसमिल है और उसके अलावा इस प्लॉट में शेष 43 डिसमिल ही जमीन बची है जिस पर वादी ने आवेदकों के विरुद्ध रजिस्टर्ड बंटवारे के आधार पर हित एवं स्वत्व की घोषणा के लिये लाया है। इसके अलावे वादी ने उक्त स्वत्व वाद 332/96 में पारित आदेश को छल-कपटपूर्ण होने के कारण एवं वादी के उक्त वाद में पक्षकार नहीं रहने के कारण वादी के उपर लागू नहीं होने की घोषणा तथा उक्त निर्णय को खारिज करने की प्रार्थना किया है।

विधि का यह भी मान्य सिद्धांत है कि यदि किसी भूमि पर स्वत्व की घोषणा के लिये वाद लाया गया है तो उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा, न्यायालय का दायित्व है। यद्यपि वादीगण ने इस विवादित भूमि पर दखल-कब्जा का दावा किया है तथा उसने अपने स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा का भी मॉग किया है और जब तक कि स्वत्व वाद 332/96 में पारित आदेश प्रभावी है, तब तक यह भी आवश्यक है कि विवादित भूमि अक्षुण्ण रहे। वैसे भी जगन्नाथ प्रसाद सिन्हा बनाम पिकी चौधरी , पीएलजेआर 2013 भोल्युग 2 पेज 696 में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया है कि वादी यदि किसी दस्तावेज को तोड़ने अथवा शून्य घोषित करने के लिये वाद दाखिल किया गया है तो इस परिस्थिति में संदर्भित भूमि के निस्वत वादीगण को प्रथम दृष्टया वाद हासिल नहीं है।

आवेदक जो कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष है, कि ओर से दाखिल की गयी केवाला दस्तावेज वादी के मंशा को दर्शाते हैं। स्वत्व वाद 332/96 में पारित निर्णय के प्रभावी रहते यदि पुनः विवादी भूमि में बिक्री की जाती है तो इस वाद में अनावश्यक पेचीदगी बढ़ेगी, नये पक्षकारों को शामिल करना होगा। इतना ही नहीं धारा 52 संपत्ति स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि मुकदमा के लंबित रहते विवादित भूमि को ना बेचा जाए। इस परिस्थिति में प्रश्नगत आवेदन के आलोक में प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्राप्त है और विवादी भूमि जो कि उभय पक्षों की मौरूसी भूमि है, की बिक्री हो जाने से प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को अपूर्ण्य क्षति होगी।

इसलिये न्यायहित में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दि० 28.08.19 को स्वीकार करते हुए उभय पक्षों के विरुद्ध इस वाद के पूर्णतया निपटारा होने तक विवादी भूमि के किसी प्रकार से स्थानान्तरण अथवा बिक्री करने से अस्थायी व्यादेश का आदेश पारित किया जाता है और यह भी आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष इस अर्थ में यथास्थिति बनाये रखेंगे।
वाद दिनांक 19/12/19 वास्ते अग्रतर कार्यवाही हेतु।

लेखापित

Radhakrishnan
अवर न्यायाधीश।

cont.